राजस्थान सरकार

निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक :–संस्था/चि0अ0/एटी/प035/10/ 33 दिनांकः– 4/08/10

–: आदेश :–

निदेशालय के आदेश क्रमांक 27 दिनांक 30/06/10 के द्वारा विभाग में Urgent Temporary Basis (आवश्यक अस्थाई आधार पर) चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 6 माह अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने तक दोनों में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर नियुवित/पदस्थापित करते हुए दिनांक 15/07/10 तक कार्यग्रहण करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। ततपश्चात निम्न अभ्यार्थियों ने कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया हैः–

क्रम सं0	नाम चिकित्सा अधिकारी	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	डा0 योगेन्द्र सिंह धाकड पुत्र श्री रामप्रसाद धाकड, 45,46 शुभम पब्लिक स्कूल, प्रेम नगर, मालवीय नगर, जयपुर।	20-05-81	OBC	सामु0स्वा0केन्द्र भिंडर (उदयपुर)
2	डा0 विवेक भटनागर पुत्र श्री राकेश भटनागर, सी–73, आनन्द विहार, रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा, जयपुर।	25-06-81	OBC	प्रा0स्वा0केन्द्र टाटगढ (अजमेर)
3	डा0 हुकम सिंह गुर्जर पुत्र श्री लल्लूराम, ग्राम बासडा, पो. सिकन्दरा, तह0 सिकराय, दौसा।	09-08-84	SBC	जिला अस्पताल धौलपुर

आवश्यक अस्थाई आधार पर चिकित्सकों की भर्ती किये जाने का विभाग का उद्देश्य ग्रामीण जनता तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। यदि उपरोक्त चिकित्सकों को कॉलेजों में ज्वाईन कराया जाता है तो भर्ती का उद्देश्य ही पूरा नही होता। उपरोक्त चिकित्सकों को कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि दिया जाना संभव नही है।

अतः उपरोक्त चिकित्सकों को नोटिस दिया जाता है कि वे आदेश जारी होने के तीन दिवस में नियुक्ति/ पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करलें अन्यथा निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नही करने के फलस्वरूप इनके आवश्यक अस्थाई आधार के अंतर्गत नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

ये आदेश शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान जयपुर को उनके आईडी संख्या 1066/एम–2/10 दिनांक 23/07/10 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री महोदय राज0 जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान जयपुर।
4. सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन–संबंधित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर।
7. संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा।
8. आदेश पत्रावली/निजि पत्रावली (प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर